बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

जिला कार्यालय मध्याह्न भोजन योजना, नवादा।

E-mail:-mdmnawada@gmail.com, Phone no. 06324-217689

निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना के पत्रांक – 5068, दिनांक – 25.04.2011 एवं पत्रांक 1366 दिनांक 28.08.2012 में निहित निदेश के आलोक में निम्न प्रखंडों में संवेदक के चयन हेतु निम्न शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

1.अकबरपुर, 2. गोविन्दपुर, 3. नरहट, 4. नवादा सदर, 5. रजौली, 6. सिरदला ,7. वारिसलीगंज, 8. हिसुआ, 9. कौआकोल, 10. काशीचक, 11. पकरीबरावॉ, 12. रोह, 13. नारदीगंज, 14. मेसकौर

I. आवेदक को 15 पंचायत तक वाले प्रखण्डों के लिए 05 (पॉच) एवं 15 पंचायत से अधिक प्रखण्डों के लिए 08 (आठ) ट्रैक्टर/ट्रक मालिक का लिखित एकरारनामा की मूलप्रति प्रत्येक वाहन के लिए अलग – अलग) आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। एकरारनामा में यह उल्लेख करना होगा कि वाहन मालिक अपने ट्रैक्टर/ट्रक को संबंधित प्रखंड में मध्याह्न भोजन योजना के खाधान्न के उठाव / वितरण हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगें व अन्य वाहन से खाधान्न का उठाव नहीं करेंगें।

II. संवेदक को पचास हजार रूपये का बैंक गारंटी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, म0भो0यो0, नवादा के पक्ष में जमा करना होगा।

III. संवेदक को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, म0भो0यो0, नवादा के पक्ष में निर्गत 10,000/– (दस हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट अग्रिम सुरक्षित जमा राशि के रूप में आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

IV. चावल का उठाव प्रखण्ड साधन सेवी तथा संवेदक संयुक्त हस्ताक्षर से करेंगें। मात्रा तथा गुणवता के लिये प्रखण्ड साधन सेवी एवं संवेदक संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगें।

V. राज्य खाद्य निगम के गोदाम से चावल निर्धारित मात्रा में उठाव कर विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। इसमें प्रयुक्त होनेवाले वाहन, ईंधन, लगने वाली मजदूरी, हथालन व्यय आदि की सारी व्यवस्था संवेदक द्वारा की जाएगी। जिला मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय के एमआईएस द्वारा निर्गत आवश्यकता आधारित वितरण सूची प्रत्येक माह 16 वीं तारीख को संवेदक को विद्यालय में खाधान्न उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। जिला द्वारा निर्धारित समयसीमा अंतर्गत खाधान्न संबंधित विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने की जबाबदेही संवेदक की होगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, नवादा प्रखंड के विद्यालयों में खाधान्न की प्राप्ति सूची से संतुष्ट होने के उपरांत परिवहन सह हथालन मद में 40 /– रूपये प्रति क्विंटल की दर से संवेदक को राशि का भुगतान किया जाएगा। राज्य खाद्य निगम के गोदाम से विद्यालय तक खाधान्न पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से खाधान्न के बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी तथा बाजार दर पर खाधान्न की क्षतिपूर्ति राशि संवेदक से वसूल की जाएगी।

VI. एकरारनामा अधिकतम 12 माह के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये 31 मार्च तक किया जाएगा। संवेदक के असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने की स्थिति में एकरारनामा समय से पूर्व भी रद्द किया जा सकता है। उठाव में लापरवाही अथवा निष्क्रियता बरतने पर संवेदक पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।

VII. निविदादाता का नाम काली सूची में नहीं होना चाहिए।

VIII. आवेदक को आवेदन के साथ अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो कि निविदा प्रकाशन की तिथि से से 3 माह के अंदर निर्गत हो समर्पित करना अनिवार्य होगा।

IX. लिफाफे के उपर मोटे अक्षरों में प्रखंड का नाम (जिस प्रखंड के लिए आवेदन कर रहे हैं) एवं मोवाईल नम्बर लिखा जाना अनिवार्य होगा। निविदा दिनांक 10.03.2016 को अपराह्न 3 वजे तक स्वीकार किया जाएगा। उसके वाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त सभी निविदा जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष सभी निविदादाता की उपस्थिति में दिनांक 10.03.2016 को अपराह्न 4 वजे खोला जाएगा।

P.T.O.

X. आवेदन खोलने की तिथि में परिवर्तन/निविदा रद्द करने अथवा किसी आवेदन को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा तथा किसी प्रकार के विवाद का निपटारा नवादा जिला के न्यायिक क्षेत्र अन्तर्गत किया जाएगा।

XI. चयन के लिए जिला पदाधिकारी, नवादा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

XII. वर्तमान वित्तीय वर्ष में संवेदक का कार्य संतोषजनक रहने पर वैसे संवेदकों को विभाग द्वारा गठित कमिटी तथा जिलाधिकारी से अनुमोदन के उपरांत अगले वित्तीय वर्ष हेतु एक वर्ष के लिए अवधि विस्तार किया जायेगा।

निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना के पत्रांक 5068 दिनांक 25.04.2011 एवं पत्रांक 1366 दिनांक 28.08.2012 में निहित आदेश तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

निविदा निम्नांकित पता पर निबंधित डाक से भेजा जाय :–

जिला मध्याह्न भोजन योजना समिति, नवादा।
सरकारी बस पड़ाव के पास,
मो0 – राजेन्द्र नगर,
जिला – नवादा, (बिहार)
पिन – 805110